

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना नं-14/P.I./ 2025 दिनांक-09/07/2025 में यह निर्देश दिये गये हैं कि यथा संभव जिला मुख्यालय पर ही न्यायिक अधिकारीगण की रिमाण्ड इयूटी लगाई जावे, उक्त निर्देश की अनुपालना में एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक-स्था/19/3632 दिनांक-15/11/2019 तथा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/स्था/21/723 दिनांक-25/11/2021 के क्रम में BNSS-2023 की धारा-13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा माननीया जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदया, प्रतापगढ़ के मौखिक आदेश की अनुपालना में प्रतापगढ़ न्याय-क्षेत्र में प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड इयूटी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ अटैच हेतु मैं विकास मारग RJS मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ माह अप्रैल 2026 के निम्नांकित राज पत्रित अवकाशों में प्रतापगढ़ जिला न्याय-क्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य (जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्रोटोकॉल, मृत्यु-समीक्षा, मृत्युकालीन कथन, जमानत आवेदन एवं अन्य) के निष्पादन हेतु निम्नानुसार न्यायिक अधिकारीगण को अधिकृत करता हूँ-

अप्रैल 2026

क्र.सं.	दिनांक	अवकाश	न्यायिक मजिस्ट्रेट
1	03/04/2026	गुड फ्राई-डे	श्री अंकित सिंघल, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.) प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट- निकिता निमावत
2	05/04/2026	रविवार	श्री अंकित सिंघल, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.) प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट- ऋषभ राठौड़
3	11/04/2026 12/04/2026	द्वितीय शनिवार रविवार	मनीषा अग्रवाल(RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादडी(राज.)
4	14/04/2026	अम्बेडकर जयंति	सुश्री वर्षा सिंह, (RJS) अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.) प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट- श्रेया सोनी
4	19/04/2026	रविवार	श्री अंकित सिंघल, (RJS) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.) प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट- नरेन्द्र कुमार रायकवाल
5	26/04/2026	रविवार	सुश्री वर्षा सिंह, (RJS) अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

निर्देश-1 यह कि अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय -11.00AM से 01.00PM तक रहेगा। उक्त-02 घण्टे के दौरान संबंधित न्यायालय के रीडर, स्टैनो, फौजदारी लिपिक व एक सहायक कार्मिक को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिये पाबंद किया जावे तथा पीठासीन अधिकारी उक्त समय में न्यायालय में उपस्थित रहे।

PTO

- 2 अधिकृत किये गये न्यायिक अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
- 3 यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के पूर्ववर्ती या पश्चात् वर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वहीं न्यायिक अधिकारी उक्त कार्य करेंगे, जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिये नियत किये गये थे।
- 4 नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत न्यायिक अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियम अनुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।
- 5 प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के बाहर के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले न्यायिक व पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड को संबंधित न्यायालय के न्यायिक अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर उपस्थित होने की स्थिति में उनके द्वारा ही निष्पादित किया जावेगा।
- 6 उपरोक्त राजपत्रित अवकाशों में यदि प्रतापगढ़ मुख्यालय पर प्रोटोकॉल कार्यक्रम आता है तो संबंधित रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट प्रतापगढ़ मुख्यालय पर उपस्थित होकर प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में सम्पूर्ण व्यवस्था का सुचारु संपादन सुनिश्चित करेंगे।
- 7 उक्त रिमाण्ड अवधि के दौरान यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 की धारा-26 (भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 की धारा-32) के तहत मृत्यु-कालीन वयान के संबंध में प्रस्तुत होने वाले आवेदनों के निस्तारण/ वयान एवं BNSS-2023 के अध्याय-13 की धारा-196BNSS के तहत बंदी की मृत्यु बाबत इन्क्वेस्ट कार्यवाही रिमाण्ड इयूटी मजिस्ट्रेट निष्पादित करेंगे।


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 प्रतापगढ़(राज.)

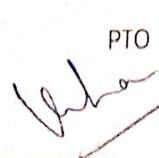
क्रमांक/स्था/2026/74 - 87

दिनांक-25/02/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, प्रतापगढ़ (राज.)
- 2- श्री अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ /अरनोद/छोटीसादड़ी/ धरियावद, जिला प्रतापगढ़
- 3- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
- 4- श्री अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)
- 5- श्री न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, प्रतापगढ़ (राज.)

PTO



- 6- श्री पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ (राज.) को प्रेषित कर लेख है, कि वे अपने अधीनस्थ समस्त थाना अधिकारियों को सूचित करावें, कि वे प्रत्येक अवकाश की दिनांक को-11.00AM से-01.00PM के दौरान ही संबंधित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके न्यायालय में ही अभियुक्त को रिमाण्ड इत्यादि के लिये पेश किया जाना सुनिश्चित करें।
- 7- अध्यक्ष, जिला अभिभाषक संघ, प्रतापगढ़/अरनोद/छोटीसादडी/धरियावद
- 8- आदेश पत्रावली, कार्यालय हाजा।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ़ (राज.)